

सशस्त्र बल (वशेष शक्तियाँ) अधनियम (AFSPA)

प्रलिम्स के लिये:

सशस्त्र बल (वशेष शक्तियाँ) अधनियम (AFSPA)

मेन्स के लिये:

सशस्त्र बल (वशेष शक्तियाँ) अधनियम (AFSPA) और संबंधित मुद्दे, वभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियाँ और उनका जनादेश, आंतरिक और सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) ने अरुणाचल प्रदेश तथा नगालैंड के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (वशेष शक्तियाँ) अधनियम (AFSPA) को और छह महीने के लिये बढ़ा दिया है।

सशस्त्र बल (वशेष शक्तियाँ) अधनियम (AFSPA):

■ पृष्ठभूमि:

- **भारत छोड़ो आंदोलन** के दौरान वरिध प्रदर्शनों को दबाने के लिये बनाए गए ब्रिटिश-काल के कानून का पुनर्गठन, AFSPA 1947 में चार अध्यादेशों के माध्यम से जारी किया गया था।
- अध्यादेशों को वर्ष 1948 में एक अधनियम द्वारा प्रतस्थापित किया गया था और पूर्वोत्तर में प्रभावी वर्तमान कानून को वर्ष 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री जीबी पंत द्वारा संसद में पेश किया गया था।
- इसे शुरू में **सशस्त्र बल (असम और मणपुर) वशेष अधिकार अधनियम, 1958** के रूप में जाना जाता था।
- **अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मज़ोरम और नगालैंड राज्यों** के अस्तित्व में आने के बाद अधनियम को इन राज्यों पर भी लागू करने के लिये अनुकूलित किया गया था।

■ परिचय:

- AFSPA सशस्त्र बलों और "अशांत क्षेत्रों" में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने तथा बर्ना वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी लेने एवं अभियोजन तथा कानूनी मुकदमों से सुरक्षा के साथ नरिंकुश अधिकार देता है।
- नगाओं के विद्रोह से निपटने के लिये यह कानून पहली बार वर्ष 1958 में लागू हुआ था।
- अधनियम को वर्ष 1972 में संशोधित किया गया था और किसी क्षेत्र को "अशांत" घोषित करने की शक्तियाँ राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गई थीं।
- त्रिपुरा ने वर्ष 2015 में अधनियम को नरिस्त कर दिया तथा मेघालय 27 वर्षों के लिये AFSPA के अधीन था, जब तक कि इसे 1 अप्रैल, 2018 से MHA द्वारा नरिस्त नहीं कर दिया गया।
- वर्तमान में AFSPA असम, नगालैंड, मणपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है।

■ अधनियम को लेकर विवाद:

○ मानवाधिकारों का उल्लंघन:

- कानून गैर-कमीशन अधिकारियों तक, सुरक्षाकर्मियों को बल का उपयोग करने और "मृत्यु होने तक" गोली मारने का अधिकार देता है, यदा वे आश्वस्त हैं कि "सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने" के लिये ऐसा करना आवश्यक है।
- यह सैनिकों को बर्ना वारंट के परिसर में प्रवेश करने, तलाशी लेने और गरिफ्तारी करने की कार्यकारी शक्तियाँ भी देता है।
- सशस्त्र बलों द्वारा इन असाधारण शक्तियों के प्रयोग से अक्सर अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर फर्जी मुठभेड़ों और अन्य **मानवाधिकारों के उल्लंघन** के आरोप लगते रहे हैं, जबकि नगालैंड एवं जम्मू-कश्मीर जैसे कुछ राज्यों में AFSPA के अनशिचतिकालीन लागू होने पर सवाल उठाया गया है।

○ जीवन रेड्डी समिति की सिफारिशें:

- नवंबर 2004 में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में अधनियम के प्राधानों की समीक्षा के लिये न्यायमूर्ति बी पी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति गठित की।

- समिति की मुख्य सफ़ारिशें इस प्रकार थीं:
 - AFSPA को नरिस्त किया जाना चाहिये और [गैर-कानूनी गतिविधियाँ \(रोकथाम\) अधिनियम, 1967](#) में उचित प्रावधान शामिल किये जाने चाहिये।
 - सशस्त्र बलों और अर्द्धसैनिक बलों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से नरिदषिट करने हेतु गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिये तथा प्रत्येक ज़िले में जहाँ सशस्त्र बल तैनात हैं, शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने चाहिये।
- दूसरी ARC की सफ़ारिशें: सार्वजनिक व्यवस्था पर दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की 5वीं रिपोर्ट में भी AFSPA को नरिस्त करने की सफ़ारिश की गई है। हालाँकि इन सफ़ारिशों को लागू नहीं किया गया है।

अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के वचिार:

- वर्ष 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक नरिणय (नगा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम यूनयिन ऑफ इंडिया) में AFSPA की संवैधानिकता को बरकरार रखा है।
- इस नरिणय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि-
 - केंद्र सरकार द्वारा स्व-प्रेरणा से घोषणा की जा सकती है, हालाँकि यह वांछनीय है कि घोषणा करने से पहले राज्य सरकार को केंद्र सरकार से परामर्श लेना चाहिये।
 - घोषणा एक सीमिति अवधि के लिये होनी चाहिये और घोषणा की समय-समय पर समीक्षा हेतु 6 महीने की अवधि समाप्त हो गई है।
 - AFSPA द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय प्राधिकृत अधिकारी को प्रभावी कार्रवाई हेतु आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग करना चाहिये।

आगे की राह

- वर्षों से कई मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं के कारण अधिनियम की यथास्थिति अब सवीकार्य समाधान नहीं है। AFSPA उन क्षेत्रों में उत्पीड़न का प्रतीक बन गया है जहाँ इसे लागू किया गया है, इसलिये सरकार को प्रभावित लोगों को संबोधित करने और उन्हें अनुकूल कार्रवाई के लिये आश्वस्त करने की आवश्यकता है।
- सरकार को मामले-दर-मामले आधार पर AFSPA को लागू करने और हटाने पर वचिार करना चाहिये तथा पूरे राज्य में इसे लागू करने के बजाय केवल कुछ सवेदनशील ज़िलों तक सीमिति करना चाहिये।
- सरकार और सुरक्षा बलों को [सर्वोच्च न्यायालय](#), जीवन रेड्डी आयोग और [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग \(NHRC\)](#) द्वारा नरिधारित दिशा-नरिदेशों का भी पालन करना चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. मानवाधिकार सकरयितावादी लगातार इस वचिार को उजागर करते हैं कि सशस्त्र बल (वशिष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSP) एक क्रूर अधिनियम है, जसिसे सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकार के दुरुपयोगों के मामले उत्पन्न होते हैं। इस अधिनियम की कौन-सी धाराओं का सकरयितावादी वरिोध करते हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त वचिार के संदर्भ में इसकी आवश्यकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (2015)

[स्रोत: द हट्टि](#)